संतकबीरनगर पुलिस

जनपद – संतकबीरनगर ***प्रेस विज्ञप्ति*** ***दिनाँक 21.03.2024***

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के मामले में अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त एक अदद आलाकत्ल हथौड़ी, एक अदद सैमसंग मोबाईल की बैटरी, टैंपर्ड ग्लास तथा मोबाईल की टूटी हुई स्क्रीन के टुकड़े, एक अदद एअरटेल कम्पनी की टूटी हुई सिम, एक अदद बैग जिसमें इस्तमाली कपड़े, एक अदद कीपैड मोबाईल हीरो के साथ किया गया गिरफ्तार

दिनांक 10.03.2024 को वादी अच्छेलाल राजभर पुत्र स्व0 श्रीकिशुन राजभर निवासी डीघा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर की पत्नी नन्दनी उम्र करीब 25 वर्ष की दिनांक 10.03.2024 के घर में थी तभी अचानक समय 02:30 PM बजे के करीब कुछ लोग घर के अन्दर घुस कर धारदार हथियार से उनकी निर्मम हत्या कर दी । वादी अच्छेलाल राजभर उपरोक्त के तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 10.03.2024 को थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीर नगर पर मु0अ0सं0 191/2024 धारा 302/506/120बी भादवि बनाम श्रवण यादव पुत्र चन्द्रभान यादव आदि 04 नफर साकिनान डीघा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर पंजीकृत किया गया था ।

आज दिनांक 21.03.2024 को *अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन*, गोरखपुर ***डॉ0 के0एस0 प्रताप कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन व अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** क्षेत्राधिकारी कोतवाली ***श्री ब्रजेश सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद ***श्री रामकृपाल सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये घटना में सम्मिलित साहुल राजभर पुत्र राम अजोर निवासी ग्राम बनौली थाना बेलहर कला जनपद संतकबीरनगर को बघौली तिराहे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद आलाकत्ल हथौड़ी, 01 अदद सैमसंग मोबाईल की बैटरी, टैंपर्ड ग्लास तथा मोबाईल की टूटी हुई स्क्रीन के टुकड़े, 01 अदद एअरटेल कम्पनी की टूटी हुई सिम, 01 अदद बैग जिसमें इस्तमाली कपड़े, 01 अदद कीपैड मोबाईल हीरो आदि बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

संतकबीरनगर पुलिस

साहुल राजभर पुत्र राम अजोर निवासी ग्राम बनौली थाना बेलहर कला जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 191/2024 धारा 302/506/120बी भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

पूछताछ विवरणः-

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि ग्राम डीघा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर के तेनू राजभर पुत्र झीनक राजभर से मेरी बड़ी बहन ममता की शादी हुई हैं। आज से लगभग एक साल पहले मैने अपने बहनोई तेनू राजभर के घर में रहकर मेडिकल स्टोर चलाता था। डीघा गाँव की नन्दनी राजभर पत्नी अच्छे लाल राजभर भी मेरे पास दवा लेने के लिये आती थी। इस नाते उनसे मेरी जान पहचान हो गयी थी। हम लोगो का आपस में प्रेम संबन्ध हो गया था। मैने नन्दनी को जनपद बस्ती में बुलाकर एक अदद सैमसंग मोबाइल दिया था तथा कई बार में नन्दनी को कुल 26000 रूपया नगद भी दिया था। कुछ दिनो से नन्दनी मुझसे बात चीत नही कर रही थी जब भी मैं फोन मिलाता था तो मुझसे बात करने से बचती थी तथा मुझे अंदेखा कर रही थी। जब मैं उसको फोन मिलाता था तो उसका फोन बराबर व्यस्त रहता था। इस बात को लेकर हम दोनो में वाद -विवाद होने लगा था। नन्दनी मेरे नम्बर को अक्सर ब्लाक कर देती थी। मै दिनांक 10.03.2024 को नन्दनी राजभर से अपना मोबाईल तथा 26000 हजार रपये की मांग किया जिस पर नन्दनी ने मेरा मोबाईल तथा रुपया मुझे देने से इंकार करते हुए मुझे जोल भेजवाने की धमकी देने लगी। इस बात को लेकर उससे मेरी बहस हुई थी। इसी से नाराज होकर मैं नन्दनी के घर पर दिन के लगभग दो से 02:30 बजे के बीच में गया था। मैं उसके घर पर पहुँचा तो देखा कि नन्दनी अपने घर पर अकेली थी। वह अपने कमरे में बेड पर लेटकर अपने मोबाइल से किसी से बात कर रही थी। तब मैने अपने पास में रखे हुए हथौड़ी से नन्दनी राजभर के सर पर कई बार वार किया था। जब मुझे इत्मिनान हो गया कि वह मर चुकी है तब मैं अपने बहनोई के घर आया वहा पर मैने अपना शर्ट बदलकर टी-शर्ट पहन लिया और हथौड़ी को पैंट की जेब मे रखकर उसे टी-शर्ट से छिपाकर मेहदावल बाईपास होते हुए पैदल आय़ा। नन्दनी की मोबाईल से सिम निकालकर उसे बाईपास के पास तोड़कर फेक दिया तथा हथौड़ी को अग्रवाल नेत्रालय के आगे नहर मे फेक दिया तथा पकड़े जाने से बचने के लिए उसके सैमसंग मोबाईल को भी राजघाट(दुर्गजोत रूधौली मार्ग) के पास नदी में तथा सड़क के किनारे अलग-अलग करके तोड़कर फेक दिया।

बरामदगी विवरण

01.- एक अदद आलाकत्ल हथौड़ी।

02.- एक अदद सैमसंग मोबाईल की बैटरी।

03- एक अदद टैंपर्ड ग्लास।

04- एक अदद मोबाईल की टूटी हुई स्क्रीन के टुकड़े।

05- एक अदद एअरटेल कम्पनी की टूटी हुई सिम।

06- एक अदद बैग जिसमें इस्तमाली कपड़े।

07- एक अदद कीपैड मोबाईल हीरो।

गिरफ्तार करने वाले पुलिसबल- प्रभारी निरीक्षक राम कृपाल सिंह, SOG प्रभारी निरीक्षक श्री सर्वेश राय, स्वाट प्रभारी उ0नि0 श्री विनोद यादव, साइबर थाना के उ0नि0 श्री रमेश यादव, हे0का0 राकेश गौड, का0 कृष्णानन्द शाह, का0 अंजीत पाल, का0 सर्वेश मिश्रा, का0 दीपक सिंह, का0 अरविन्द यादव, का0 अनिल कुमार साहनी, हे0का0 बृज किशोर गुप्ता, का0 वीर बहादुर यादव, का0 अरूण कुमार हलवाई, का0 शुभम सिंह, तथा सर्विलांस कर्मी का0 ज्ञान सिंह व का0 नितीश कुमार।

नोट- (उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु पुलिस टीम के उत्साह वर्धन हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर द्वारा 25,000 रूपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की गयी है।)

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्तगण गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में

***थाना महुली पुलिस* द्वारा 01 नफर** वारण्टी नाम पता 1. रामस्वरुप पुत्र स्व0 सनोहर निवासी मथुरापुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राकेश कुमार गुप्ता, उ0नि0 रामपाल तिवारी।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संतकबीरनगर पुलिस

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 100 वाहनों से 1,24,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 21.03.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 100 वाहनों से 1,24,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।